उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो

पत्रांक ....108 (NCD)

उपायुक्त –सह– अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, बोकारो

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक, बोकारो
उप विकास आयुक्त, बोकारो
अपर समाहर्ता सह– विशेष नोडल पदाधिकारी, बोकारो
सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो
जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो
जिला शिक्षा अधिक्षक, बोकारो
जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बोकारो
जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो
जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, बोकारो
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, बोकारो
डी0 आई0 ओ0, एन0आई0सी0, बोकारो
उपाधीक्षक सदर स्पताल, बोकारो
जिला कुष्ट निवारण पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी, बोकारो
सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बोकारो,
सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बोकारो
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, बोकारो
औषधि निरीक्षक, बोकारो,
जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति,बोकारो
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोकारो
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बोकारो
सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,बोकारो
सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बोकारो

बोकारो, दिनांक ...12-04-17

विषयः– तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम–2003 के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने–अपने कार्यालय को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।

महाशय,

ज्ञातव्य हो कि तम्बाकू जनित रोगों से प्रतिवर्ष भारत में लगभग 12 लाख लोगो कि मृत्यु हो जाती है। Global Adult Tobacco Survey(GATS) के अनुसार झारखण्ड में 50.1 प्रतिशत युवा किसी न किसी रुप में तम्बाकू का सेवन करते है, जिसमें 63.6 प्रतिशत पुरुष एवं 35.9 प्रतिशत महिलाए हैं। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों से होने वाले हजारों प्रकार की घातक बिमारियों यथा कैंसर, हृदय रोग एवं फेफड़ों आदि की बिमारी तथा

असामयिक रोगों से संबंधित प्रचार–प्रसार को युक्तिसंगत तरीकों से लागू करने हेतु सरकारी कर्मियों के माध्यम से आम जन को जागरूक करना आवश्यक है।

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा–4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है। आप का कार्यालय भी सार्वजनिक स्थानों की श्रेणि में आता है जिसे आपके द्वारा धूम्रपान मुक्त/तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना है।

अतः आप सभी कार्यालय प्रधान को निदेशित किया जाता है कि अप्रेल माह के अंत तक अपने–अपने कार्यालय को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए उल्लंघनकर्ताओं को दण्डित करने हेतु विशेष पदाधिकारी नामित करें ताकि कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अपने–अपने कार्यालय के सभी प्रमुख स्थानो पर तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा –4 का साईनेज लगाना सुनिश्चित करेंगे तथा उस साईनेज पर कानून के अनुरुप नामित विशेष पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बार लिखा होना अनिवार्य है। घोषणा पत्र की छाया प्रति उपायुक्त कार्यालय को देते हुए जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग को भी देंगे। यह प्रयास इस जिले को धूम्रपान मुक्त जिला बनाने में सार्थक कदम साबित होगा।

Ray 12/4/17

उपायुक्त –सह– अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
बोकारो

ज्ञापांक 108(NCD)/ बोकारो, दिनांक 12.4.17

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Ray 12/4/17

उपायुक्त –सह– अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
बोकारो

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,बोकारो

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) के प्रभावकारी अनुपालन के लिए **अपर समाहर्त्ता (विधि व्यवस्था)**, बोकारो को तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का विशेष नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) नामित किया जाता है। जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम का प्रभावकारी अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेगें। साथ ही बोकारो जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें। यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

Arati Kri Mishra 16.03.15 जिला कार्यक्रम सहायक, NTCP, बोकारो	Rajashree R. Singh 16.3.15 जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, बोकारो	16.3.15 असैनिक शल्य सह चि० मु० चि० पदा० सह सदस्य –सचिव, बोकारो	21/03/15 उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो

ज्ञापांक 57/NTCP /बोकारो दिनांक 24/3/15

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा० चि० एवं शि० प० क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखण्ड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला बोकारो/जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बोकारो/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बोकारो/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बोकारो जिला अर्न्तगत/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बोकारो/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बोकारो/सभी कार्यालय प्रधान, बोकारो जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, बोकारो/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बोकारो, जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, बोकारो, असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो /उप–विकास आयुक्त, बोकारो/पुलिस अधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Develpment Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

Arati Kri Mishra 16.03.15 जिला कार्यक्रम सहायक, NTCP, बोकारो	Rajashree R. Singh 16.3.15 जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, बोकारो	16.3.15 असैनिक शल्य सह चि० मु० चि० पदा० सह सदस्य –सचिव, बोकारो	21/03/15 उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003 (COTPA-2003) को बोकारो जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ज्ञापांक 156 दिनांक 06/07/2017 में लिए गए निर्णय के आलोक में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, बोकारो की अध्यक्षता में **जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति** District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC) का गठन इस कार्यालय के पत्रांक 201 (NCD) बोकारो, दिनांक 22-07-17 द्वारा किया जाता है। निम्न पदाधिकारियों को जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

1. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बोकारो	:अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक, बोकारो	:सदस्य
3. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चि० पदा०, बोकारो	:सदस्य सचिव
4. अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष नोडल पदा०,तंबाकू नियंत्रण बोकारो	:सदस्य–सह–मुख्य समन्वयक
5. उप–विकास आयुक्त, बोकारो	:सदस्य
6. जिला नोडल पदा०, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, बोकारो	:सदस्य–सह–समन्वयक
7. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बोकारो	:सदस्य
8. अपर मुख्य चिकित्सा पदा०, बोकारो	:सदस्य
9. जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो	:सदस्य
10. जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, बोकारो	:सदस्य
11. जिला जन सूचना पदाधिकारी, बोकारो	:सदस्य
12. जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो	:सदस्य
13. जिला कृषि पदाधिकारी, बोकारो	:सदस्य
14. जिला खाद्य सुरक्षा पदा० बोकारो	:सदस्य
15. औषधि निरीक्षक, बोकारो	:सदस्य
16. अध्यक्ष, आई०एम०ए०, बोकारो	:सदस्य
17. सचिव, भारतीय रेडक्रॉस समिति, बोकारो	:सदस्य
18. सचिव, रोटरी कल्ब, बोकारो	:सदस्य
19. प्रतिनिधि, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स)	:सदस्य
20. प्राचार्य, चास कॉलेज/ सिटी कॉलेज/महिला कॉलेज/ रणविजय कॉलेज बोकारो	:सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित हैः–

- COTPA -2003 को पूरे बोकारो जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने तथा मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।

- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- बोकारो जिले/प्रखण्डों की अनुश्रवण/रहनुमाई समिति का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहें हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामले में फैसला लिया गया है।
- तंबाकू नियंत्रण से संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य/जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- DTCCC की त्रैमासिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना।
- तम्बाकू और संबंद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष@surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

Rajashree R. Singh
17.7.17

Ray 21/7/17

जिला नोडल पदाधिकारी
एन0टी0सी0पी0
बोकारो

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
बोकारो

ज्ञापांक 201 (NCD) / बोकारो, दिनांक 22-07-17

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) एवं श्री आशीष पांण्डे, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Ray 21/7/17

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
बोकारो

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,बोकारो

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 29-01-2015 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, बोकारो द्वारा जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **जिला स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

<u>जिला स्तरीय छापामार दस्ता</u> में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगेः–

1. अपर समाहर्त्ता (विधि व्यवस्था)–सह–विषेष नोडल पदा0, तंबाकू नियंत्रण – अध्यक्ष
2. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय) – सदस्य
3. जिला परिवहन पदाधिकारी – सदस्य
4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी – सदस्य
5. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी – सदस्य
6. औषधि निरीक्षक – सदस्य
7. जिला शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति) – सदस्य
9. श्रम अधीक्षक, बोकारो – सदस्य
10. संबंधित थानाध्यक्ष – सदस्य
11. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) – समन्वयक

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण **इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित करेंगे**। साथ ही प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

21/03/15

Arati Kri Mishra 16.03.15	Rajashree R. Singh 16.3.15	16.3.15	
जिला कार्यक्रम सहायक, NTCP, बोकारो	जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, बोकारो	असैनिक शल्य सह चि0 मु0 चि0 पदा0 सह सदस्य –सचिव, बोकारो	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो

ज्ञापांक 60/NTCP / बोकारो, दिनांक 24/3/15

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बोकारो/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बोकारो/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, बोकारो/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन [illegible]/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0/जिला

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,बोकारो

शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Develpment Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

Arati Kri Mishra 16.03.15 — जिला कार्यक्रम सहायक, NTCP, बोकारो

Rajashree R. Singh 16.3.15 — जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, बोकारो

असैनिक शल्य सह चि० मु० चि० पदा० सह सदस्य –सचिव, बोकारो

21/03/15 — उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम बोकारो

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,बोकारो

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 29-01-2015 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, बोकारो द्वारा जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

<u>अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता</u> में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :–

1. अनुमंडल पदाधिकारी — अध्यक्ष
2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी — सदस्य
3. कार्यपालक दण्डाधिकारी — सदस्य
4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी — सदस्य
5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय — सदस्य
6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी — सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष — सदस्य

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में **उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे**। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें लें सकेंगे।

21/03/15

Arati Kri Mishra 16.03.15	Rajashree R. Singh 16.3.15	16.3.15	
जिला कार्यक्रम सहायक, NTCP, बोकारो	जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, बोकारो	असैनिक शल्य सह चि० मु० चि० पदा० सह सदस्य –सचिव, बोकारो	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम बोकारो

ज्ञापांक 59/NTCP /बोकारो, दिनांक 24/3/15

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बोकारो/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बोकारो/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, बोकारो /जिला पंचायती राज पदाधिकारी/जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०/डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०/जिला

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,बोकारो

शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Develpment Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

Arati Kri Mishra 16.03.15	Rajashree R. Singh 16.3.15		21/03/15
जिला कार्यक्रम सहायक, NTCP, बोकारो	जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, बोकारो	असैनिक शल्य सह चि0 मु0 चि0 पदा0 सह सदस्य –सचिव, बोकारो	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,बोकारो

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 29-02-2015 को जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, बोकारो द्वारा जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :–

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	–	सन्वयक सदस्य
3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	–	सदस्य
4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	–	सदस्य
6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	–	सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष	–	सदस्य

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को कियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ली जा सकेंगी।

Arati Kri Mishra 16.03.15
जिला कार्यकम सहायक,
NTCP, बोकारो

Rajashree R. Singh 16.3.15
जिला नोडल पदाधिकारी,
NTCP, बोकारो

16.3.15
असैनिक शल्य सह चि0 मु0 चि0 पदा0
सह सदस्य –सचिव,
बोकारो

21/03/15
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम
बोकारो

ज्ञापांक 58/NTCP / बोकारो, दिनांक 24/3/15

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बोकारो/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बोकारो/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, बोकारो /जिला पंचायती राज पदाधिकारी/जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0,/जिला षिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,बोकारो

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Develpment Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

Arati Kri Mishra 16.03.15	Rajashree R. Singh 16.3.15		21/03/15
जिला कार्यकम सहायक, NTCP, बोकारो	जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, बोकारो	असैनिक शल्य सह चि0 मु0 चि0 पदा0 सह सदस्य –सचिव, बोकारो	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम बोकारो

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,बोकारो

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) की धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेंगे। लोक स्थान (Public Place) से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जहाँ जनता की पहुँच हो, चाहे साधिकार हो या न हो और इसके अन्तर्गत – लोक वाहन, बस स्टैंड, रेल प्रतीक्षालय, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतीक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान्न भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, बैंक परिसर, बैंक के ATM, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षिणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल भवन, सिनेमा हॉल, होटल/रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं ऐसे सभी स्थान जहाँ आम जनता का आना-जाना होता है पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है।

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (COTPA, 2003) की धारा 21 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, अल्लंघनकर्त्ता को रूपये 200/- तक जुर्माना किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रापराईटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी अपने स्तर से सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वार पर, यदि एक से ज्यादा प्रवेश द्वार हैं तो ऐसे प्रत्येक प्रवेश द्वार पर और उनके अन्दर सुस्पष्ट स्थान (स्थानों) पर नीचे दर्शाये गये बोर्ड के प्रारूप के अनुसार बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

चालान के द्वारा अधिकतम 200/- रू0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंधन करने वाले को 200/- रू0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Arati Kri Mishra 16.03.15	Rajashree R. Singh 16.3.15	16.3.15	21/03/15
जिला कार्यकम सहायक, NTCP, बोकारो	जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, बोकारो	असैनिक शल्य सह चि0 मु0 चि0 पदा0 सह सदस्य –सचिव, बोकारो	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम बोकारो

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,बोकारो

ज्ञापांक 86/NTCP / बोकारो, दिनांक 24/3/15

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन०टी०सी०पी०, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बोकारो/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, बोकारो/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वाथ्य केन्द्र, बोकारो/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बोकारो/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बोकारो/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोकारो/जिला षिक्षा पदाधिकारी, बोकारो/सभी प्रखंड क्षिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बोकांरो/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बोकारो/सभी सी०डी०पी०ओ०, बोकारो/श्रम अधीक्षक, बोकारो/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बोकारो/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, बोकारो/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो एवं पुलिस अधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, बोकारो को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना और समाहरणालय परिसर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इस आशय का बोर्ड/होर्डिंग लगवाना सुनिश्चित करेंगें।

Arati Kri Mishra 16.03.15	Rajashree R. Singh 16.3.15		21/03/15
जिला कार्यक्रम सहायक, NTCP, बोकारो	जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, बोकारो	असैनिक शल्य सह चि० मु० चि० पदा० सह सदस्य -सचिव, बोकारो	उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,बोकारो

आदेश

बोकारो जिला के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार–प्रसार बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(3) एवं 5(1) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार *"धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/रूपये 1000/–(रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"*।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार–प्रसार करना बंद करें एवं बोकारो जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

Arati Kri Mishra 16·03·15	Rajashree R. Singh 16·3·15	[signature] 16·3·15	[signature] 21/03/15
जिला कार्यक्रम सहायक, NTCP, बोकारो	जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, बोकारो	असैनिक शल्य सह चि० मु० चि० पदा० सह सदस्य –सचिव, बोकारो	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम बोकारो

ज्ञापांक 54/NTCP /बोकारो दिनांक 24/3/15

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बोकारो/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, बोकारो/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वाथ्य केन्द्र, जिला बोकारो/अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, बोकारो/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बोकारो/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बोकारो/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोकारो/जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बोकारो/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बोकारो/सभी सी०डी०पी०ओ०, बोकारो/श्रम अधीक्षक, बोकारो/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बोकारो/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, बोकारो/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो एवं पुलिस अधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, बोकारो को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि : बोकारो जिला के सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/तम्बाकू उत्पाद बेचनें वाले दूकानदारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रशासक, बोकारो नगर निगम, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Develpment Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित

Aruti Kri Mishra 16·03·15	Rajashree R. Singh 16·3·15	[signature] 16·3·15	[signature] 21/03/15
जिला कार्यक्रम सहायक, NTCP, बोकारो	जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, बोकारो	असैनिक शल्य सह चि० मु० चि० पदा० सह सदस्य –सचिव,	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,बोकारो

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA) की धारा 6 (a) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) के धारा 6 (a) के आलोक में सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों पर नीचे दर्शाये गये बोर्ड लगाना अनिवार्य है।

फ्लैक्स / बोर्ड का प्रारूप निम्न प्रकार से है :–

अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा– बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने दुकान पर यह फ्लैक्स / बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200/- रू0 तक दंड का प्रावधान है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Arati Kr Mishra 16.03.15
जिला कार्यक्रम सहायक,
NTCP, बोकारो

Rajashree R. Singh 16.3.15
जिला नोडल पदाधिकारी,
NTCP, बोकारो

असैनिक शल्य सह चि0 मु0 चि0 पदा0
सह सदस्य –सचिव,
बोकारो

21/03/15
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
बोकारो

ज्ञापांक 53/NTCP / बोकारो दिनांक 24/3/15

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल / पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बोकारो / निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, बोकारो / सिविल सर्जन, बोकारो / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बोकारो / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बोकारो

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,बोकारो

/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोकारो/जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो/सभी सी0डी0पी0ओ0, बोकारो/श्रम अधीक्षक, बोकारो/पुलिस अधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, बोकारो को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Develpment Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

Arati Kri Mishra 16.03.15 — जिला कार्यक्रम सहायक, **NTCP**, बोकारो

Rajashree R. Singh 16.3.15 — जिला नोडल पदाधिकारी, **NTCP**, बोकारो

असैनिक शल्य सह चि0 मु0 चि0 पदा0 सह सदस्य –सचिव, बोकारो

21/03/15 — उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम, बोकारो

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,बोकारो

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) की धारा 6 (b) के अन्तर्गत किसी भी शैक्षिक संस्थान के 100 गज की दूरी के घेरे के क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने पर शख्त प्रतिबंध है और यह (COTPA-2003) की धारा 24 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंघनकर्त्ता को रूपये 200/- तक जुर्माना किया जाएगा।

शैक्षणिक संस्थान का स्वामी या प्रबंधक या मामलों का प्रभारी कोई व्यक्ति परिसर से बाहर किसी सहज दृश्य स्थान पर अपने स्तर से प्रमुख रूप से नीचे दर्शाये गये प्रारूप के अनुसार बोर्ड के माध्यम से "तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान" को प्रदर्शन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

बोर्ड/दीवार लेखन का प्रारूपः–

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान

इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/–रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आदेशानुसार

शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम ____________________

शिक्षण संस्थान का नाम ____________________

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों/प्रबंधक या मामलों के प्रभारी को निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप के अनुसार बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे एवं **100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद की बिकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें**। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200/- रू0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दुष्परिणामों के बारें में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात–फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महीने के समीक्षात्मक बैठक में इस तम्बाकू नियंत्रण के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

21/03/15

Arati Kri Mishra 16.03.15 जिला कार्यक्रम सहायक, NTCP, बोकारो	Rajashree C. Singh 16.3.15 जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, बोकारो	16.3.15 असैनिक शल्य सह चि0 मु0 चि0 पदा0 सह सदस्य –सचिव,	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,बोकारो

ज्ञापांक 55/NTCP /बोकारो, दिनांक 24/3/15

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बोकारो/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बोकारो/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम, बोकारो/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो एवं पुलिस अधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, बोकारो को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Develpment Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

Arati Kri Mishra 16.03.15	Rajashree R. Singh 16.3.15		21/03/15
जिला कार्यकम सहायक, NTCP, बोकारो	जिला नोडल पदाधिकारी, NTCP, बोकारो	असैनिक शल्य सह चि0 मु0 चि0 पदा0 सह सदस्य –सचिव, बोकारो	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम बोकारो